राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3280/2025

मुकेश चंद मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. सयुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर।
4. पी.ई.ई.ओ. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अटेवा, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.07.2025
आदेश की दिनांक : 11.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2011 में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर हुई थी, जिसके अनुरूप अपीलार्थी ने आवंटित पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। तत्पश्चात, अपीलार्थी को शिक्षा विभाग में संबंधित पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2025 को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता ग्रेड–I के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नति के कारण पोस्टिंग दी गई थी, जिससे उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेवा जिला करौली से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होदयाली जिला दसुआ राजस्थान में पोस्टिंग स्थान समायोजित किया गया था, जबकि उसका नाम क्रमांक 215 पर उल्लेखित था। (अनुलग्नक–1) इसके बाद प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 12.4.2025 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 01.5.2025 को पुनर्जीवन आदेश जारी किया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी विभाग ने रिक्ति वर्ष 2021–2022 और 2022–2023 के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति सूची

दिनांक 13.12.2024 को जारी की। कि आदेश दिनांक 13.12.2024 के अनुसरण में अपीलार्थी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंटवा जिला करौली में पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इसके बाद अपीलार्थी ने लगातार प्रत्यर्थी विभाग में संपर्क किया और अपने गृह जिले में करौली में रिक्त पद पर पोस्टिंग की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण विक्रम चंद बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14215/2012) और अन्य संबंधित रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3.10.2012 को पारित निर्णय और श्रीमती अंजू मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 2226/2014 में माननीय न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। इसके बाद प्रतिवादियों ने दिनांक 01.5.2025 के रिलीविंग ऑर्डर में रिलीविंग ऑर्डर जारी किया, अपीलार्थी ने दिनांक 02.5.2025 को संबंधित पोस्टिंग स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 12.4.2025 (अनुलग्नक–1) एव कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 01.5.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नियमित वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ व्याख्याता ग्रेड–ा गणित के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेवा जिला करौली में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य